

संख्या-1168/33-3-2007-165/2002

प्रपत्रक,

आर० के० शर्मा,
प्रमुख सचिव,
उ०प्र० शासन।

संख्या-1188-
दिनांक-29-6-07

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

पंचायती राज अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक 28 जून, 2007

विषय:- संचित गाँव कोष में जमा धनराशि का न्यूनतम 75 प्रतिशत अंश गाँव निधि में स्थानांतरित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक पंचायती राज विभाग के शासनादेश संख्या-2267/33-3-2002-165/2002, दिनांक-19.07.2002 तथा संख्या-469, दिनांक-28.04.2006 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट कराते हुए अवगत कराना है कि उ०प्र० जमींदारी विनाश और ग्राम व्यवस्था अधिनियम-1950 की धारा-124 के अधीन स्थापित गाँव निधि (गाँव कोष) में मछली के टंकों, तालाबों, पोखरों, झीलों, आदि की नीलामी/पट्टा आदि से प्राप्त समस्त आय की धनराशि तथा इसी अधिनियम की धारा-125 "क" के अधीन स्थापित संचित गाँव कोष में धारा-122 "बी" के अन्तर्गत लगाये गये दण्ड और क्षतिपूर्ति की धनराशि जमा की जाती है। विधिक स्थिति यह है कि इस प्रकार प्राप्त सम्पूर्ण धनराशि गाँव कोष में ही जमा की जानी चाहिये। इस प्रकार जमा की गयी राशि में से अधिकतम 25 प्रतिशत राशि जिलाधिकारी के आदेश के अनुसार निकाल कर संचित गाँव कोष में डाली जा सकती है। इस विधिक स्थिति के विपरीत व्यवहार में नीलामी आदि से प्राप्त कुल राशि संचित गाँव कोष में डाल दी जाती है और बाक में पंचायती राज विभाग संचित गाँव कोष में उपलब्ध राशि में से 75 प्रतिशत राशि गाँव कोष में डालने का प्रयास करता है। यह प्रक्रिया गाँव कोष में तो है ही, इसके साथ स्थिति यह भी है कि पंचायती राज विभाग के उक्त प्रयास बहुत कम सफल हो पाते हैं और यहाँ तक ऐसा शाश्वत अनावश्यक रूप से संचित गाँव कोष में पड़ी रह जाती है। ऐसी स्थिति में गाँव कोष के उपयोग से ग्राम पंचायत स्तर के विकासात्मक कार्यों का सम्पादन बाधित होता है। उक्त स्थिति के आलोक में राजस्व अनुभाग-2 से समस्त मण्डलायुक्त एवं जिलाधिकारियों को सम्बोधित शासनादेश सं०-806/1-2-2005-रा-2, दिनांक-03 जून, 2005 द्वारा इस आशय के निर्देश प्रसारित किये गये हैं कि गाँव सभा के तालाबों आदि की नीलामी आदि से प्राप्त आय तत्काल सम्बन्धित गाँव कोष में जमा करा दी जाये और कुल

1061
24-07-07

39/0/10

16/07

A.P.R.O

राशि की अधिकतम 25 प्रतिशत धनराशि संचित गाँव कोष में भी आनेवाया रूप से जमा की जाये।

2- अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि जनपद स्तर पर संचित गाँव कोष में वर्षवार जमा की गई धनराशि का दिनांक 31-5-07 तक का विवरण तैयार कर लिया जाए और इसका सूचना विलम्बतम दिनांक 30-6-07 तक निदेशक, पंचायती राज का उपलब्ध करायी जाये। साथ ही, उसमें से सम्बन्धित गाँव निधि में जमा की जाने वाली पुनतम 75 प्रतिशत धन राशि का भी आया - करतें हुए उस सम्बन्धित ग्राम पंचायत की गाँव निधि में जमा करना सुनिश्चित किया जाये। जिलाधिकारी द्वारा प्रमुख सचिव, राजस्व एवं निदेशक, पंचायती राज उ०प्र० को तत्काल इसकी सूचना उपलब्ध करायी जाये। भविष्य में तद्वत विधिक स्थिति के विपरीत इस प्रकार की कार्यवाही को पुनरावृत्ति रोकने के लिये अधिनियम व नियमावली के सन्दर्भित प्राविधानों का कड़ाई से परिपालन भी सुनिश्चित किया जाये।

भवदीय,

आर० के० शर्मा

प्रमुख संचित।

संख्या-1168(1)/33-3-2007, तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाएं एवं व्यावश्यक कार्यवाही

हेतु प्रेषित :-

- 1- सचिव, राजस्व विभाग, उ०प्र० शासन को उनके पत्र सं०-396/1-2-05-रा-2, दिनांक-03.06.2005 के सदर में।
- 2- समस्त मण्डलायुक्त, उ०प्र०।
- 3- निदेशक, पंचायती राज, उ०प्र० लखनऊ।
- 4- समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ०प्र०।
- 5- समस्त मण्डलीय उप निदेश (पंचायत), उ०प्र०।
- 6- समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उ०प्र० को इस निर्देश के साथ कि वे जिलाधिकारी से व्यक्तिगत सम्पर्क कर नियमावली के प्रावधानों के अन्तर्गत कार्यवाही सम्पन्न करावें तथा कृत कार्यवाही की सूचना निर्धारित प्रारूप पर प्रत्येक माह उपलब्ध करावें।

आज्ञा से,

आर० के० शर्मा

प्रमुख संचित।